# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 91/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/199
निर्णय दिनांक 27.08.2024

बृजलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति विश्नोई निवारी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ 2. भगवानाराम 3. ओमप्रकाश 4. पूनमचन्द पुत्रगण मोहनलाल 5. इन्द्रपालसिंह 6. बंशीलाल पुत्रगण किशनलाल 7. ज्ञानीराम 8. शंकरलाल पुत्रगण गोपीराम 9. गुड्डी पत्नि ओमप्रकाश जातिगण विश्नोइ निवासीगण सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 व 4 ता 9 की ओर से।

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम।**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की तरफ से दावा निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि वादी नाम से खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1038/481 तादादी 9.0900 हैक्टेयर रोही सांवतसर में स्थित था जिसमें से वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को जरिये विक्रय पत्र 0.1890 हैक्टेयर विक्रय किया था। विक्रय पत्र के बाद वादी के नाम से खसरा नम्बर 1042/1038 तादादी 8.9010 हैक्टेयर कायम हुआ। वादी द्वारा खसरा नम्बर 1042/1038 तादादी 8.9010 हैक्टेयर में से 0.3310 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 को जरिये विक्रय पत्र के विक्रय किया विक्रय के बाद वादी के नाम खसरा नम्बर 1200/1042 तादादी 8.5700 हैक्टेयर कायम हुए। वादी द्वारा खसरा नम्बर 1200/1042 तादादी 8.5700 हैक्टेयर में से 0.2900 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.04.2024 को विक्रय करने के बाद वादी के नाम से खसरा नम्बर 1300/1200 तादादी 8.2600 हैक्टेयर कायम हुए है। वादी द्वारा उपरोक्तानुसार विक्रय पत्रो के अनुसार विक्रित भूमि की मौके पर सीमाऐ कायम है मौके पर कायम सीमाओ एवं मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जानी थी। लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने मौके कब्जे के विपरीत विक्रित भूमि की तरमीम करते समय वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को विक्रय की गई 0.1890 हैक्टेयर की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत दर्ज कर दी गई। जिससे वादी द्वारा 0.3310 हैक्टेयर एवं 0.2900 हैक्टेयर की तरमीम भी मौके कब्जे के विपरीत दर्ज की गई है। वादी द्वारा विक्रय की गई भूमि की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर देने से वादी के खेत खसरा नम्बर 1300/1200 तादादी 8.2600 हैक्टेयर की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत हो गई है वादी के खेत की राजस्व नक्शा में तरमीम मौके कब्जे के अनुसार नही होने से वादी को कई तरह की परेशानिया हो रही है। वादी ने अपने खेत की राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादगत खेत का राजस्व नक्शा मोके कब्जे के अनुसार नही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के खेतों की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी है जिसको सही करवाने के लिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने सही करने से इनकार कर दिया। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड के नक्शा अक्श में वादी एवं प्रतिवादीगण के खेत की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो ने वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी जिससे वादी के खेत के राजस्व अक्श में एवं मौके कब्जे में काफी अन्तर है वादी के खेत के राजस्व नक्शा में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को काफी परेशानिया होती है जिससे वादगत खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के अनुसार करवाया जाना जरूरी हो गया है। वादी का उक्त खेत पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:05:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

चला आ रहा है । एवं मौके पर सीमाऐ कायम है। कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग अनुसार ही वादी घोषणा के जरिये अपने खेत की तरमीम राजस्व रिकार्ड में मौके कब्जे के अनुसार दर्ज करवाने की अधिकारी है। यह है कि वादी की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा सीट मे मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को कई तरह की परेशानिया आती है। वादी अपने खसरे की तरमीम कब्जा एवं मौका के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने की अधिकारी है। वादी के खेत नक्शा सीट में मौके एवं कब्जे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा सीट में तरमीम करवाने हेतु प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने दिनांक 11.01.2024 को वादी की भूमि की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया। यही वाद कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल है। दावा घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसमें स्टेट को पक्षकार भूमिधारी होने से बनाया गया है। स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए धारा 80 (1) सीपीसी के नोटिश की छूट हेतु धारा 80 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दावा पेश किया जा रहा है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है। वादगत भूमि रोही सांवतसर में स्थित होने से श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।
अतः दावा पेश कर निवेदन किया गया है कि दावा निम्न प्रकार आदेशित फरमाया जावें:–

(क) यह है कि वादी के खेत खसरा नंबर 1300/1200 तादादी 8.2600 हैक्टेयर रोही सांवतसर की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जावें ।

(ख) यह है कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वो वादी के खसरा नम्बर 1300/1200 तादादी 8.2600 हैक्टेयर रोही सांवतसर की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करें।

(ग) यह है कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हो जावे वो भी प्रदान किया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया किया। वादी अधिवक्ता द्वार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश01 नियम 10 सीपीसी का पेश किये जाने पर वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 03 ओमप्रकाश का नाम डिलिट किया जाकर प्रतिवादी संख्या 09 के रूप में गुडडी पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी सावंतसर का नाम संयोजित किया जाकर दावे में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादीगण को स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा अनुसार वाद को स्वीकार करनें मे आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

## निर्णय

खेत खसर नंबर 1300/1200 तादादी 8.28 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1301/1200 तादादी 0.29 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1201/1042 तादादी 0.3310 हैक्टेयर, 1039/1038 तादादी 0.630 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1040/1038 तादादी 0.630 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1041/1038 तादादी 0.630 हैक्टेयर वाकेरोही सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर की राजस्व रिकार्ड में तरमीम मौके कब्जे के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। पर्चो डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:05:09 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

# अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

बृजलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति विश्नोई निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ 2. भगवानाराम 3. ओमप्रकाश 4. पूनमचन्द पुत्रगण मोहनलाल 5. इन्द्रपालसिंह 6. बंशीलाल पुत्रगण किशनलाल 7. ज्ञानीराम 8. शंकरलाल पुत्रगण गोपीराम 9. गुड्डी पत्नि ओमप्रकाश जातिगण विश्नोइ निवासीगण सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रतिवादीगण–

मुकदमा नम्बर 91/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 27.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2, 4 ता 9 की ओर से व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसर नंबर 1300/1200 तादादी 8.28 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1301/1200 तादादी 0.29 हैक्टेयर, खेत खसरा नंबर 1201/1042 तादादी 0.3310 हैक्टेयर, 1039/1038 तादादी 0.630 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1040/1038 तादादी 0.630 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1041/1038 तादादी 0.630 हैक्टेयर वाकेरोही सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर की राजस्व रिकार्ड में तरमीम मौके कब्जे के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 27 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | 0 |
| 3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | 0 | 3. प्लीडर की फीस | 0 |
| 4.........रूपये पर प्लीडर की फीस | 0 | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता | 0 |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता | 0 | 5. आदेशिका की तामिल | 0 |
| 6.कमिश्नर की फीस | 0 | 6. कमिश्नर की फीस | 0 |
| 7.आदेशिका की तामिल | 0 | | |
| योग | 0 | योग | 0 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 15:05:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ